**समाचार.प्रकाषनार्थरू.**

**नारी शक्ति ने ठाना हैए रतलाम शहर को स्वच्छ बनाना है**

**नगर निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर की स्वच्छता और महिलाओं की भागीदारी विषय पर समारोह आयोजित कर महिलाओं को सम्मान किया**

**रतलाम 08 मार्च । जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी निवास करती है। इसी तरह स्वच्छता को उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी भी माना जाता है। घर हो या शहर हो हर जगह की स्वच्छता में महिलाओं का योगदान रहता है। स्वच्छ सर्वेक्षण .2022 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर बनाने के लिए नगर पालिक निगम अपने प्रयास सतत जारी रखे हुए हैए मगर अब स्वच्छता के इस महाअभियान में नारी शक्ति भी अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर खुद अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छंद रखेगी साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेगी।**

**उक्त संकल्प मंगलवार को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में शहर की स्वच्छता में महिलाओं की भागीदारी विषय पर आयोजित समारोह के दौरान उपस्थित जागरुक महिलाओं ने लिया है। इस अवसर पर स्वच्छता विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। जिसमें महिलाओं व छात्राओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया है। समारोह में अतिथि के रुप में महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक सुश्री अंकिता पण्डयाए लायन क्लब अध्यक्ष मोबीना गौरीए स्वच्छता ब्राण्ड एम्मेसडर दिव्या पाटीदारीए अंजू सूर्यवंशीए नवोदित बैरागी आदि उपस्थित रहे।**

**कन्या पूजन से शुभारंभ**

**समारोह की शुरुवात की शुरुवात कन्या पूजन के साथ की गई। उपायुक्त श्री विकास सोंलकीए कार्यपालन यंत्री श्री जीण्केण जायसवाल ने विधि.विधान से पांच**

नन्ही कन्याओं का पूजन कर उनकी आरती उतारी। यहां षुभ्रता बन्दोडियाए राध्या बन्दोडियाए काश्वी चौहानए जयति पांचालए आदि का पूजन किया गया।

**स्पर्धाओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया**

गुलाब चक्कर परिसर में आयोजित इस भव्य समारोह के दौरान स्वच्छ रतलाम.सुंदर रतलाम की थीम पर भाषणए निबंधए चित्रकलाए मॉँडलए रांगोली आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं व छात्राओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।

यहां आयोजित भाषण प्रतियोगिता में वरिष्ठ शिक्षिका यशस्वी वर्माए स्नेहलता भदौरियाए अंकिता पालए व माया मोर्या ने अव्वल स्थान प्राप्त किया। इन सभी को नकद राशि व प्रमाण.पत्र देकर सम्मानित किया। इसी तरह रांगोली प्रतियोगिता में अनिता झालीवालए ममता प्रजापतिए छाया मिश्राए अंजना जादौन ने बेहतर रांगोलियों का निर्माण किया। निबंध प्रतियोगिता में शासकीय नर्सिंग स्कूल की छात्रा पदमा कुमावतए ज्योति जाटवए सपना सोनार्थीए श्रेया सेन ने अव्वल स्थान पाया। चित्रकला प्रतियोगिता में करिश्मा हरिनए पूनम आकोदियाए लविना जादवंश और प्रियंका मालवी ने बेहतर परीणाम दिए। मॉँडल प्रतियोगिता में आंचल चौहानए जयललिता धाकड़ और मानसी पासवान को भी बेहतर प्रदर्शन पर नकद इनाम व प्रमाण पत्र भेंट किए गए।

**स्वच्छता में सहयोगी रही 51 महिलाओं का सम्मान किया**

शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत व स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रमों में सहयोग करने वाली 51 वरिष्ठ महिलाओं का सम्मान भी अतिथियों ने किया। इस अवसर पर महिला सफाई मित्रए समाजसेवीए खिलाड़ी और शिक्षा व महिला एंव बाल विकास विभाग से जुड़ी महिलाओं को मोमेन्टों देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वच्छता बनाए रखने व शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के उपायों से उपस्थितजनों को अवगत कराया।

**सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समा बांधा**

**राष्ट्रीय गीत.संगीत व लोकनृत्य की प्रस्तुति समारोह में आकर्षण का केन्द्र रही। इस अवसर पर गायिका माधुरी वासनिकए नृत्यागंना पूजा व शिवागनी चौहान ने बेहतर प्रस्तुति दी। संगीत में संगत राजेश शर्मा ;पंडितद्ध जितेन्द्र चौहानए रोहित व रमन दी है।**

**कार्यक्रम का संचालन ऐहतेषाम अंसारी ने किया व आभार उपायुक्त श्री विकास सोलंकी ने माना।**

**गदंगीए अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन उपयोग तथा विक्रय करने पर 14 व्यक्तियों पर जुर्माना**

**रतलाम 08 मार्च । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैए अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 08 मार्च मंगलवार को 14 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नाकोड़ा टे्रडर्स पर 10000ए कपील पोखरना पर 5000ए सिद्धांत फर्नीचरए मॉ टी स्टॉलए हेमन्तए भेरूलालए राज कार डेकोर पर 500.500ए निर्मलए सलीमए गणपतए रविए षैलेन्द्र पर 200.200ए नईम व देवीलाल पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगीए अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग व विक्रय ना करने की समझाईष दी।**

**लोक अदालत में करो की बकाया राषि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें**

**12 मार्च षनिवार को लोक अदालत का आयोजन**

**बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राषि**

**रतलाम 08 मार्च । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य षासन के निर्देषानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट**

**देने हेतु 12 मार्च 2022 षनिवार को नेषनल लोक अदालत के तहत बकाया राषि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।**

**आयोजित नेषनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६ ;रूपये पचास हजारद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000६ ;रूपये दस हजारद्ध तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट।**

**सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६ ;रूपये पचास हजारद्ध से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000६ ;रूपये एक लाखद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000६ से अधिक तथा रूपये 50ए000६ तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट।**

**सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000६ ;रूपये एक लाखद्ध से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६ से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट।**

**उक्त छूट मात्र एक बार ;व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदजद्ध ही दी जायेगी। यह छूट वर्श 2020.21 तक की बकाया राषि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12ध्03ध्2022 की नेषनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।**

**नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा**

**जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट का लाभ उठावें।**

**बिना अनुमति के पोस्टर चिपकाने वालो के विरूद्ध दर्ज होगी एफआईआर**

**रतलाम 08 मार्च । षहर की सड़को के विद्युत पोलए षासकीय भवन दीवारों सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के पोस्टर चिपकाने वालो पर नगर निगम द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा षहर के मुख्य मार्गो का निरीक्षण किया गया जिसके तहत स्वस्तिक क्लासेसए उत्कर्श एकेडमीए अभ्यास केरियर इंस्टीयूटए प्रजापति केरियर इंस्टीट्यूटए एलीवेसन एग्रीकल्चर एकेडमीए गौरी क्लीनिक फार्मेसीए एलीवेषन एग्रीकल्चर एकेडमीए माखनलाल चतुर्वेदीए सुप्रीम मेंडिकल एवं नर्सिंग एकेडमी के पोस्टर अवैध रूप लगे पाये गये। संबंधितों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी। गंदगी करने पर**

**8 मार्च को 96 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा**

**रतलाम 08 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 08 मार्च मंगलवार को 96 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।**

**08 मार्च मंगलवार को डम्पर से 30455ए टेªक्टर से 14570ए मैजिक सूखा कचरा 34750ए मैजिक गीला कचरा 16440 व सेनेटरी वेस्ट 19 किलो इस तरह कुल 96234 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।**

**15 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा**

**दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन**

**बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त**

**रतलाम 07 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 15 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।**

**08 मार्च मंगलवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में पुश्पाबाई पति प्रहलादए उमेष.प्रहलादए बादल.दिलीपए अजय.विनोदए विजय.फुलचन्द्रए दीपक.जगदीषए सावित्रीबाई पति राजेषए मायाबाई पति हुक्मीचन्दए झोन क्रमांक 2 में बबीताबाई पति कमलए लताबाई पति संजयए महेष.देवकरणए अर्जून.राकेषए संजय.षिवए झोन क्रमांक 4 में सुनीताबाई पति राजकपूर व रामू.जारू इस तरह 15 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।**

**ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।**

**नगर निगम के विभिन्न करों से 17ण्13 लाख राजस्व प्राप्त हुआ**

**रतलाम 08 मार्च । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 08 मार्च मंगलवार को कुल राषि रूपये 17ए13ए664ध्. का राजस्व प्राप्त हुआ।**
**नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 08 मार्च मंगलवार को संपत्तिकर कार्यालय से 805303ए वसूली दल 431187 कुल 1236490ए जलकर कार्यालय से 178850ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 42744ए वसूली दल 210345 कुल 253089ए स्पॉट फाईन 38950ए लायसेंस 6285 इस तरह कुल राषि रूपये 17ए13ए664ध्. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।**

**कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 सफाई संरक्षकों का 1 दिवस का वेतन काटा**

**रतलाम 8 मार्च । महू रोड बस स्टैण्ड परिसर के सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार सफाई मित्र मनीश.मुकेष व अरूण मोलाराम का एक दिवस का वेतन काटकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।**

**संपत्ति विरूपण के तहत 300 से अधिक छोटे.बड़े फ्लेक्स बोर्ड हटाये गये**

**रतलाम 07 मार्च । संपत्ति विरूपण के तहत 7 मार्च सोमवार को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार न्यू कलेक्टोरेट से फव्वारा चौकए फव्वारा चौक से कोर्ट तिराहाए कोर्ट तिराहे से दो बत्तीए दो बत्ती से सैलाना बस स्टैण्ड से बरबड़  तक से बिना अनुमति के लगे 300 से अधिक फ्लेक्स होर्डिंगए बैनरए पोस्टर हटाकर जब्त किया गया। बिना अनुमति के फ्लेक्स होर्डिंगए बैनर व पोस्टर लगाने वालो के विरूद्ध नगर निगम द्वारा एफआईआर दर्ज की जावेगी।**

**रात्रीकालिन सफाई के 2 सफाई मित्रों का 1 दिवस का वेतन काटा**
**सेवा से बर्खास्त किये जाने का जारी किया कारण बताओ सूचना.पत्र**
**तीन दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त**

**रतलाम 08 मार्च । षहर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़कए मुख्य सड़केए व्यावसायिक क्षेत्रए प्रमुख  चौराहेए उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों मे से 2 सफाई मित्रो द्वारा 06 मार्च रविवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।**
**रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 07 मार्च सोमवार को षंकर.पूनमचन्द व विकास.किषोर द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।**

**रांगोली से दिया नागरिकों को स्वच्छता का संदेष**

**रतलाम 8 मार्च । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर के विभिन्न चौराहोए सार्वजनिक स्थलोंए षासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेष देने वाली रांगोली बनाई जा रही है।**
**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ.स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमे सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रांगोली बनाकर स्वच्छता का संदेष दिया जा रहा है।**

**नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री**

**सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क**

**रतलाम 8 मार्च । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2ण्0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।**

**ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें**

**रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही**

**रतलाम 08 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे**

**ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेª षन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

**ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000ध् एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500ध् प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100ध् रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।**

**नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।**

**3318 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए**

**स्वरोजगार ऋण से 119 हितग्राही हुए लाभान्वित**

**पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

**रतलाम 08 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 3098 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।**

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 114 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

**अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही**
**15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल**

रतलाम 08 मार्च । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

**नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें**
रतलाम 08 मार्च । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।**

**गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही**

**रतलाम 08 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।**

**निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।**

**प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।**

**वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही**

**रतलाम 08 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

**वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

**समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध08ण03ण2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण**